दैनिक जागरण
ईमानदारी उत्थान का मार्ग है

संपर्क-संवाद में देरी

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भाजपा ने एक अभियान शुरू करने का जो फैसला किया वह देर से उठाया गया कदम ही दिखता है। इस अभियान के तहत अगले दस दिनों में तीन करोड़ परिवारों से मिलकर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में बताया जाएगा और साथ ही जगह-जगह प्रेस कांफ्रेंस भी की जाएंगी। कायदे से यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। पार्टी के साथ मोदी सरकार को भी आम जनता से संपर्क-संवाद की जरूरत तभी समझ लेनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता कानून पर व्यापक प्रचार-प्रसार की दरकार है। समझना कठिन है कि नागरिकता कानून पर विपक्ष के तीखे विरोध के बाद भी सत्तापक्ष यह क्यों नहीं भांप सका कि उसे आम जनता के बीच भी वैसी ही सक्रियता दिखाने की जरूरत है जैसी उसने नागरिकता संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाते वक्त संसद में दिखाई? लगता है कि उसने इस विधेयक पर संसद की मुहर लगते ही यह मान लिया कि अब इस मसले पर कुछ कहने-बताने और खासकर विरोध कर रहे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि सत्तापक्ष यह भी नहीं समझ सका कि नागरिकता संशोधन कानून के साथ प्रस्तावित एनआरसी को लेकर जनता के बीच किस तरह भ्रम फैलाकर उसे गुमराह करने के साथ उकसाया भी जा रहा है? यह काम विपक्षी नेताओं की ओर से तो किया ही जा रहा, वामपंथी रुझान वाले बुद्धिजीवियों और फिल्म जगत के लोगों की ओर से भी किया जा रहा। इस काम में मीडिया के एक हिस्से की भी भूमिका है। इसी कारण विरोध के नाम पर अराजकता का खुला प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उसे बेशर्मी के साथ सही भी ठहराया जा रहा है। उन्माद भरे उपद्रव का सिलसिला भी इसीलिए कायम है। यह ढोंग की पराकाष्ठा ही है कि पागलपन भरी हिंसा में रेलवे की करीब 90 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो जाने, विभिन्न राज्यों में तीन सौ से अधिक पुलिस वालों के लहूलुहान होने और सैकड़ों वाहन फूंके जाने के बाद भी यह राग अलापा जा रहा है कि हम तो शांति के साथ अपना विरोध कर रहे हैं। अभी तक करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है और फिर भी गांधी, आंबेडकर, संविधान, लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। यह छल-छद्म के अलावा और कुछ नहीं। हैरानी है कि जब सरकार इस सबके बारे में जान रही थी कि लोगों को भ्रमित और भयभीत किया जा रहा है तब फिर उसकी ओर से आम लोगों तक पहुंचने का काम समय रहते क्यों नहीं किया गया?

नशे का मकड़जाल

कई अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी नशे की विषबेल खूब पनप रही है। नशे के सौदागरों की सक्रियता परेशान कर रही हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें यह स्वाभाविक है। खासकर, युवा पीढ़ी का नशे की गिरफ्त में आना खतरनाक संकेत है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऊधम सिंह नगर और हल्द्वानी के साथ ही पर्वतीय जिलों के कस्बों तक में नशे के सौदागरों का नेटवर्क सामने आया है। आए दिन यहां नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी जा रही है। पुलिस यह कहकर बचाव की मुद्रा में दिखती है कि वह नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। तस्करों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन अहम सवाल अपनी जगह कायम है कि बावजूद इसके तस्करों का नेटवर्क कैसे फैलता जा रहा है। आलम यह कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और आवासीय कॉलोनियों तक तस्करों की पहुंच बन गई है। यह भी कह सकते हैं ये सब इलाके तस्करों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। पैडलरों के जरिये तस्कर स्कूली बच्चों को नशे का आदी बना रहे हैं। पूरे परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो यह बात साफ हो रही कि पुलिस शहरों में नशीले पदार्थ बेचने वालों को तो पकड़ रही है, लेकिन असल तस्करों तक पहुंच ही नहीं रही है। पैडलरों तक नशीले पदार्थ कौन पहुंचा रहा है और किस माध्यम से पहुंच रहा है, इसकी पड़ताल के दावे होते जरूर हैं, पर ठोस परिणाम सामने नहीं आते। शायद यही वजह है कि पैडलरों के गिरफ्त में आने के बाद तस्कर आसानी से नया नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं। इन्हीं के जरिये तस्कर बेधड़क नशीले पदार्थों की खेप उत्तराखंड के विभिन्न शहरों को पहुंचा रहे हैं। स्थिति कितनी विकट होती जा रही है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड उन सात राज्यों में शुमार है, जो नशे को लेकर न केवल चिंतित हैं, बल्कि इससे निपटने के लिए साझा रणनीति बना रहे हैं। हाल में ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसी मसले पर सातों राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने मंथन किया। उत्तराखंड के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ और हिमाचल प्रदेश इसमें शरीक हुए थे। अच्छी बात यह कि इन सभी राज्यों की चुनौतियां कमोबेश एक सी हैं, ऐसे में तस्करों पर नकेल डालने के लिए अब जो रणनीति बनी है, उससे सकारात्मक परिणाम आने के उम्मीद की जानी चाहिए। यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि साझा बैठक में जो कुछ तय हुआ, उस पर अमल के लिए ईमानदार प्रयासों की जरूरत है।

नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता की पहल को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। शिक्षण संस्थाओं को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए

अराजकता फैलाने वाली राजनीति

संजय गुप्त

नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी को लेकर लोगों को बरगलाने-भड़काने वाली राजनीति देश को शर्मिंदा करने वाली है

राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य कई शहरों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके से धरने-प्रदर्शन के साथ बड़े पैमाने पर आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले की घटनाएं हो रही हैं वे गंभीर चिंता का विषय हैं। इसलिए और भी, क्योंकि अराजक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यह अंदेशा बढ़ रहा है कि इस तरह की घटनाएं जारी रहीं तो समाज में टकराव की स्थिति बन सकती है। नागरिकता कानून के विरोध में धरना-प्रदर्शन के साथ हिंसक घटनाओं के बढ़ते जाने के बाद भी नेताओं, कलाकारों और मीडिया के एक हिस्से के लोग नागरिकता कानून के हिंसक विरोध की या तो अनदेखी कर रहे या फिर उसे जायज ठहरा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी मसले का विरोध हो सकता है। हर मसले पर लोगों को अपनी बात कहने-रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के नाम पर हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता और उस हिंसा को तो बिल्कुल भी नहीं जिसमें सरकारी-गैर सरकारी संपत्ति जलाई जा रही हो और पुलिस को निशाना बनाया जा रहा हो।

यह हर दिन साफ हो रहा है कि नागरिकता कानून का विरोध करने उतरे तमाम लोगों को यही नहीं पता कि यह कानून किसके लिए है और उसका देश के किसी भी नागरिक से कोई मतलब नहीं, भले ही वह चाहे जिस पंथ का हो। इस अज्ञानता से तमाम सेलेब्रिटी कहे जाने वाल लोग भी ग्रस्त हैं। इतना ही नहीं, उनके पास हर सवाल के जवाब में एक कुतर्क है। इन्हीं कुतर्कों से लैस लोग धरना-प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। इनमें तमाम तो बहकाकर या फिर भाड़े पर लाए जा रहे हैं। उन्हीं के बीच अराजक तत्व हिंसा फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार की घटनाएं खास तौर पर यही बता रही हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन धरना-प्रदर्शन करने वाले उनका बचाव कर रहे हैं। अराजक विरोध से पल्ला झाड़ कर वे खुद को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी करार दे रहे हैं और हिंसा के लिए पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। यह अंध विरोध की अति है।

हालांकि सरकार बार-बार कह रही है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय मुसलमान का अहित नहीं होने जा रहा है, फिर भी यह अफवाह सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही है कि यह कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है। इसी के साथ शरारतपूर्ण तरीके से यह भी जोड़ा जा रहा कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी के जरिये धर्म के आधार पर पहचान की जाएगी और ऐसा करते समय मुस्लिम नागरिकों को घुसपैठिया बता दिया जाएगा। ऐसा शरारत भरा दुष्प्रचार तब किया जा रहा जब एनआरसी की प्रक्रिया और उसके नियम तय किए जाने शेष हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित एनआरसी असम में लागू एनआरसी से अलग होगा, लेकिन उसे असम जैसा ही बताने की होड़ मची है। आम जनमानस को भयभीत करने के लिए यहां तक कहा जा रहा है कि लोगों और खासकर भारत के मुसलमानों को खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। सरकार ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को एनआरसी को लेकर आशंकित होने की जरुरत नहीं है, लेकिन नेताओं का एक वर्ग एनआरसी पर सरकार को घेरने के लिए लगातार समाज में भ्रम फैला रहा है। एनआरसी को एक हौवे का रूप तब दिया जा रहा है जबकि दुनिया का हर देश अपने नागरिकों का रजिस्टर तैयार करता है। सरकार अपनी इसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने की प्रतिबद्धता जता रही है, लेकिन उसे इस रूप में पेश किया जा रहा जैसे सरकार कोई नया और गैर जरूरी काम कर रही हो। ध्यान रहे आजादी के बाद 1951 में जनगणना के बाद पहला एनआरसी तैयार किया गया था।

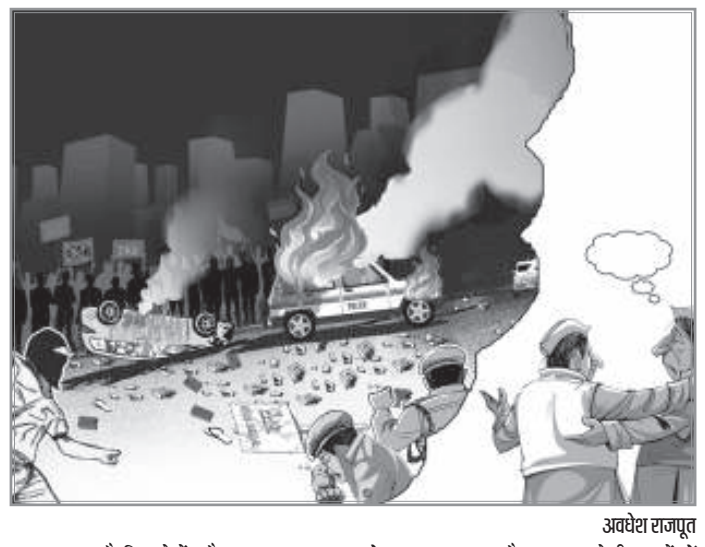

अवधेश राजपूत

हर देश अपने नागरिकों के लिए कुछ अलग नियम बनाता है और शरणार्थियों के लिए अलग। वे शरणार्थियों को नागरिकता भी प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ नियमों और शर्तों के साथ। असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों को राहत देने की बात समय-समय पर तमाम दलों के नेता करते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। खुद मनमोहन सिंह ने 2003 में वाजपेयी सरकार से यह मांग की थी कि बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी चाहिए। यह मांग उन्होंने राज्यसभा में नेता विपक्ष के रूप में की थी। उनका यहां तक कहना था कि बांगलादेश जैसे देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के मामले में हमें उदारता दिखानी चाहिए, क्योंकि यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है। क्या यह अजीब नहीं कि जिसे 2003 में नैतिक दायित्व बताया जा रहा था वह 2019 में अनावश्यक काम करार दिया जा रहा है? यह भी ध्यान रहे कि कुछ इसी तरह की मांग माकपा नेता प्रकाश कारत ने तब की थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। करात ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह भी याद दिलाया था कि इस बारे में नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने क्या कहा था? अब जब ऐसा ही किया गया तो एक तूफान सा खड़ा कर दिया गया। आखिर इस नतीजे पर क्यों न पहुंचा जाए कि नागरिकता कानून का विरोध केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और लोगों को जानबूझकर बरगलाया जा रहा है? आज मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस भी यह भूलना पसंद कर रही है कि बांग्लादेश से पलायन करके आए अल्पसंख्यकों को लेकर उसकी क्या मांग थी? क्या वह एक दिखावटी मांग थी और इसीलिए दस साल तक संप्रग सरकार ने बांग्लादेशी शरणार्थियों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया? कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि असम में एनआरसी तैयार करने का काम उस समझौते के तहत किया गया जो राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते समय वहां के नेताओं से किया था। कम से कम असम से राज्यसभा सदस्य रहे मनमोहन सिंह तो इस सबसे भली तरह परिचित ही होंगे। किसी मसले पर वोट बैंक की राजनीति नई नहीं है, लेकिन नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी को लेकर तो देश को शर्मिंदा करने वाली अराजक राजनीति की जा रही है। सोनिया गांधी नागरिकता कानून के विरोधियों के साथ खड़ी होना पसंद कर रही हैं, लेकिन शांति की अपील करना जरूरी नहीं समझ रहीं।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल नागरिकता कानून को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं वे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो उसके फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? वे इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या संसद से पारित कानून को खारिज करना संविधान और लोकतंत्रसम्मत है? आखिर जब सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून की संवैधानिकता की परख करने को तैयार है तो फिर अनावश्यक धरना-प्रदर्शन और हिंसा के जरिये देश को अशांति की आग में क्यों झोंका जा रहा है?

response@jagran.com

धरने-प्रदर्शन का प्रशिक्षण

हास्य-व्यंग्य

पीयूष पांडे

यदि आप नए, पुराने या फिर आदतन प्रदर्शनकारी हैं तो यह जरूर समझें कि किस मुद्दे पर और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं?

अब मुझे पता चला कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा झोल है और वह यह कि मार्केट में जिस टाइप का रोजगार सबसे ज्यादा होता है, उसका कायदे का कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में होता ही नहीं है। जैसे इन दिनों फिर विरोध-प्रदर्शन की बहार आई हुई है, लेकिन उसके गुर सिखाने वाला कोई पाठ्यक्रम ही नहीं। जिस तरह बारात में आया हर बाराती नागिन नृत्य नहीं कर सकता उसी तरह हर प्रदर्शनोत्सुक व्यक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता। प्रदर्शन एक कला है। आगजनी, गाड़ियां रोकना, आंसू गैस के गोले फेंके जाने पर सांस रोककर खड़े रहना और भयंकर सर्दी में भी वाटर कैनन के आगे सीना तानकर खड़े होने में एक्सपर्टीज की भी दरकार होती है। पहली बार प्रदर्शन कर रहा व्यक्ति इतना योग्य नहीं होता कि पुलिस से सीधे पंगा ले सके। चूंकि ऐसा कोई कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में संचालित नहीं हो रहा, इसलिए प्रदर्शन के पूर्व अनुभवों के आधार पर कुछ बिंदुओं पर प्रदर्शनोत्सुकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसे प्रदर्शनकारी बनने का क्रैश कोर्स भी कहा जा सकता है।

इसका पहला सबक यही है कि यदि आप नए-नए प्रदर्शनकारी हैं तो कृपया बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर प्रदर्शन करें, क्योंकि असली उपद्रवी और दंगाई अक्सर तोड़फोड़-हंगामा और आगजनी के बाद मौका-ए-वारदात से रफूचक्कर हो जाते हैं और पुलिस के हत्थे आप जैसे नए रंगरूट लग जाते हैं। पुलिस नए-पुराने चावलों की कुटाई में कोई अंतर नहीं करती। दूसरे सबक में समझ लें कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन सिर्फ टीवी कैमरों के सामने तुर्रम खां बनने के लिए होता है। इसमें तमाम प्रदर्शनकारियों को पता ही नहीं होता कि वे जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वह वास्तव में है क्या? अगर नागरिकता कानून के विरोधी प्रदर्शनकारियों से इस पर सवाल करेंगे तो 90 फीसद नहीं बता पाएंगे कि यह क्या है? वे सिर्फ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं,क्योंकि उनके साथी कर रहे हैं या फिर उन्हें खुद को सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी दिखाने वाली तस्वीर लगानी है। तीसरे सबक में गांठ बांध लें कि आपकी पत्थरबाजी आपके साथियों का भी मुंह तोड़ सकती है।

चौथा सबक यही होगा कि टेलीविजन चैनल के कैमरों के सामने आते ही किस मुद्रा में कितने डेसिबल में नारे लगाने हैं, ये सिर्फ एक्सपर्ट प्रदर्शनकारी ही जानता है। इसलिए प्रदर्शन के दौरान हमेशा चिल्लाते रहकर गले पर बोझ नहीं डालना चाहिए। केवल कैमरा सामने आते ही भीड़ से आगे निकलकर चिल्लाने की कोशिश करें। पांचवा सबक यही कि प्रदर्शन की योजना से पहले अच्छे से खा-पी लें, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान कई बार काफी भागना दौड़ना पड़ता है, जिसमें काफी कैलोरी नष्ट होती है। कुछ मौकों पर पुलिस की धरपकड़ के बाद प्रदर्शनकारी को थाने में घंटों बैठना भी पड़ता है।

छठा सबक यही कि हंगामेबाजी के दौरान पुलिस पकड़ ले तो घबराएं नहीं। पहले हाथ जोड़कर माफी मांगें और खुद को बेकसूर बताएं। पुलिसवाले नहीं मानें तो पहला डंडा पड़ते ही जमीन पर गिर जाएं और पैरों को पेट की तरफ मोड़कर गुड़ीमुडी हो जाएं। अब सातवां सबक समझ लें कि अगर आप ट्रेनी प्रदर्शनकारी हैं या बिना कुछ जाने-समझे प्रदर्शन करने आ गए हैं तो यह जान लें कि तोड़फोड़ आगजनी करने पर भी आप संविधान, लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो अपनी फजीहत ही कराएंगे। थाना-कचहरी के चक्कर अलग से लगाएंगे।

आठवां सबक यही रहेगा कि यदि आप छात्र हैं तो भी प्रदर्शन सीखें। पढ़ाई वगैरह तो होती रहेगी और एक बार क्लास में फेल भी हो गए तो कोई नहीं। प्रदर्शन में एक्सपर्टीज आपको राजनीति में भी दूर तक ले जा सकती है। आपको शायद मालूम न हो, लेकिन हर नेता पर प्रदर्शन के पांच-दस केस तो दर्ज हैं ही, जिन्हें वह झूठा बताता है। नौवें सबक के तहत प्रदर्शन से पहले एक्टिंग की छोटी वर्कशॉप कर सकें तो और भी बेहतर इससे आपके प्रदर्शन में भावप्रवणता बढ़ेगी। और अंत में दसवां एवं अंतिम सबक यह कि प्रदर्शन आपका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन को दंगा न बनाएं, क्योंकि दंगाई को गोली लगने पर किसी को अफसोस नहीं होता।

response@jagran.com

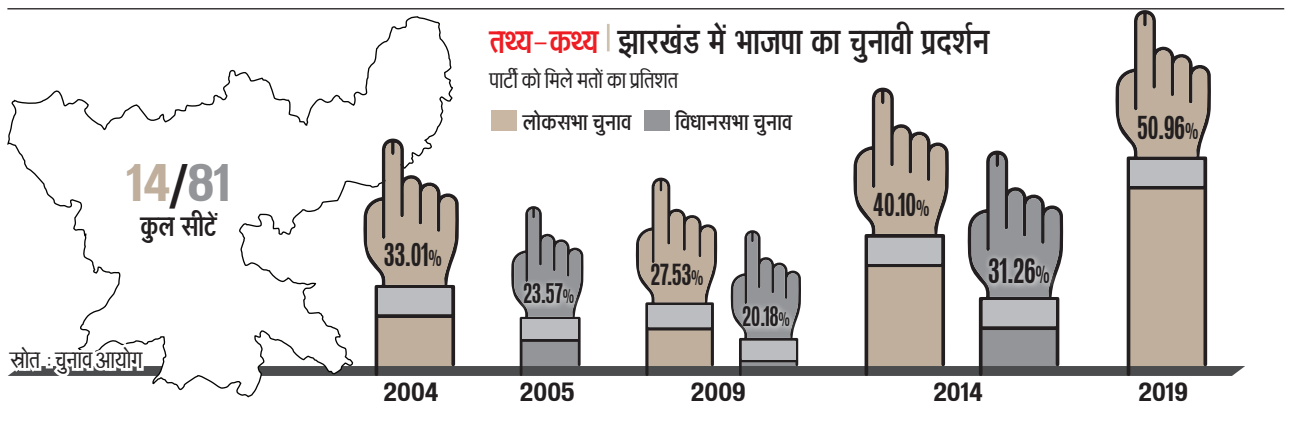

ऊर्जा

मानव धर्म

वर्तमान भौतिक युग में यदि मनुष्य ने मनुष्य के साथ सद्व्यवहार नहीं सीखा तो भविष्य में इसकी भारी क्षति उठानी होगी। आज मूल्यों से रहित शिक्षा मनुष्य को मानवता के बजाय दानवता की ओर लिए जा रही है। मानवता मनुष्य का धर्म है। मानव धर्म सभी मनुष्यों के साथ स्नेह भाव का मूल मर्म समझाता है। जाति, संप्रदाय, वर्ण, धर्म और देश आदि के विभिन्न भेदभावों के लिए यहां कोई स्थान नहीं। मानव धर्म का आदर्श एवं इसकी मनोभूमि अत्यंत ऊंची है तथा इसके पालन में मानव जीवन की वास्तविकता निहित है। मानव धर्म सभ्यता एवं संस्कृति की रीढ़ सदृश है। इसके बिना सभ्यता-संस्कृति का विकास असंभव है। मानव धर्म की वास्तविकता एवं उपादेयता इसी में है कि मनुष्यत्व के विकास के साथ ही विश्व भर के लोग सुख, शांति और प्रेम भाव से रहें। प्राणिमात्र में रहने वाली आत्मा उसी परमपिता परमेश्वर का अंश है। प्रत्येक में एक ही जगतनियंता प्रभु का प्रतिबिंब झलकता है, यह समझकर प्रत्येक मनुष्य की ओर आदरभाव बनाए रखें। ऐसा करके ही सभी तरह के आदर्श मूल्यों का विकास संभव है।

मानव धर्म का आध्यत्मिकता तथा नैतिकता से महत्वपूर्ण संबंध है। यदि कोई मानव सदाचारी नहीं है। चारित्रिक एवं नैतिक आदर्शों में उसकी आस्था नहीं। ईश्वरीय सत्ता में भी उसका लेशमात्र विश्वास नहीं और इनके अतिरिक्त सौजन्य, सहृदयता, सात्विकता, सरलता, परोपकारिता आदि सद्गुण उसमें नहीं हैं तब यह स्वीकार करना होगा कि अभी उसने मानव धर्म का स्वर-व्यंजन भी नहीं सीखा है। वास्तव में मानव-धर्म के विनाश हेतु मानव ने चहुंओर स्वार्थवश एक संकीर्ण घेरा बना रखा है जिसके बाहर वह निकल नहीं पाता। वहीं उसे तोड़े बिना, उससे बाहर निकले बिना कोई भी मानव मानवतावादी नहीं बन सकता। अतः अपने हृदय को परमोदार तथा सरल बनाने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए प्रेम पयोधि में स्नान परमापेक्षित है जो अत्यंत आनंद की अनुभूति भी कराएगा।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

कोशिकाओं को लेकर बड़ी कामयाबी

मुकुल व्यास

यह खोज अल्जाइमर, स्नायु तंत्र और हृदयाघात के इलाज में प्रभावी उपकरण बनाने में खासी मददगार साबित हो सकती है

वैज्ञानिकों ने ऐसी स्नायु कोशिकाएं विकसित की हैं जो वास्तविक कोशिकाओं जैसा व्यवहार करती हैं। यह अपने तरह की पहली उपलब्धि है। इससे हृदयाघात, अल्जाइमर और स्नायु तंत्र की बीमारियों में उपचार के लिए चिकित्सा उपकरण बनाए जा सकते हैं। सिलिकॉन चिप पर निर्मित ये कृत्रिम स्नायु कोशिकाएं जैविक स्नायु कोशिकाओं की तरह काम करते हुए बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं। उन्हें एक माइक्रोप्रोसेसर के महज एक अरबवें हिस्से के बराबर ऊर्जा चाहिए। इससे ये मेडिकल इंप्लांट और दूसरे जैविक-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इन स्नायु कोशिकाओं का विकास यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ के नेतृत्व में ब्रिस्टल, ज्यूरिख और ऑकलैंड विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने किया है।

उन्होंने स्नायु कोशिकाओं का ब्योरा 'नेचर' पत्रिका में दिया है। स्नायु तंत्र के विद्युतीय संकेतों का पालन करने वाली कुदरती स्नायु कोशिकाओं की तरह काम करने वाली कृत्रिम स्नायु कोशिकाओं का विकास चिकित्सा विज्ञान का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रहा है जिसमें वैज्ञानिक लंबे समय से जुटे हैं। नई सफलता के बाद ऐसी बीमारियों के इलाज की उम्मीदें जगी हैं जहां स्नायु कोशिकाएं उपयुक्त ढंग से काम नहीं करतीं या स्पाइनल कॉर्ड में चोट की वजह से उनकी प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है अथवा वे मृत हो चुकी हैं। कृत्रिम स्नायु कोशिकाएं कुदरती कोशिकाओं के कार्य को दोहराकर रुग्ण जैविक सर्किट की मरम्मत कर सकती हैं। हृदयाघात के मामले में मस्तिष्क के तल स्थित स्नायु कोशिकाएं स्नायु तंत्र के फीडबैक का उपयुक्त जवाब नहीं देतीं जिसकी वजह से वे दिल को सही संकेत नहीं भेज पाती हैं। ऐसे सही संकेतों के अभाव में दिल अपेक्षित तेजी से पंपिंग नहीं कर पाता और हृदयाघात हो जाता है।

बहरहाल जीव विज्ञान की जटिल चुनौतियों और अनिश्चित स्नायु प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायु कोशिकाओं का विकास एक बड़ी चुनौती थी। शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन चिप विकसित करने के बाद यह सिद्ध किया कि उनकी कृत्रिम स्नायु कोशिकाएं विद्युत संकेतों का जवाब देने के मामले में वास्तविक स्नायु कोशिकाओं की हूबहू नकल करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर एलेन नॉगरेट ने इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि अभी तक स्नायु कोशिकाएं ब्लैक बॉक्स जैसी थीं, अब हम इस ब्लैक बॉक्स को खोलकर उसके भीतर झांकने में सफल रहे हैं। हमारा शोध इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने वास्तविक स्नायु कोशिकाओं के विद्युतीय गुणों को उनकी बारीकियों के साथ दोहराने की उपयुक्त विधि बताई है। कृत्रिम कोशिकाओं को सिर्फ 140 नैनोवाट्स की दरकार होती है।

इस कारण ये असाध्य रोगों के इलाज में प्रयुक्त होने वाले बायो-इलेक्ट्रॉनिक इंप्लांट्स के लिए मुफीद हैं। प्रो. नॉगरेट का कहना है कि वे ऐसे स्मार्ट पेसमेकर विकसित कर रहे हैं जो न केवल हृदय को सतत रूप से सटीक तरीके से पंपिंग के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि हृदय की जरूरतों पर कार्रवाई के लिए इन कृत्रिम स्नायु कोशिकाओं का इस्तेमाल भी करेंगे।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

बैरंग वापसी...

राजनीति में अक्सर दूसरों की वजह से नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में एक विधायक के साथ हुआ। विधानसभा में नहीं बोलने देने के विरोध में कई विधायकों का समर्थन और उनके साथ धरने पर बैठना उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचा गया। हुआ यूं कि इस घटना के बाद एक दिन मुख्यमंत्री ने कई विधायकों को मिलने के लिए बुलाया। वहां ये विधायक जी भी पहुंचे, लेकिन मुलाकात के इंतजार में बैठे-बैठे जब काफी समय बीत गया तो उन्होंने दरख्वास्त की। इन्हें बताया गया कि आपको तो बुलाया ही नहीं गया था। नतीजतन उन्हें वहां से बैरंग लौटने की नौबत आ गई। हालांकि पता चला कि कुछ समय बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें मुलाकात के लिए समय दे ही दिया।

बाइट के लिए कुछ भी...

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा राजनीति में आने से पहले कई वर्षों तक उद्योग चैंबर फिक्की के महासचिव रहे हैं। अपने तब के कार्यकाल में उन्हें इस बात के लिए जाना जाता था कि अर्थ से जुड़ा कोई भी मामला हो तो वह मीडिया में आने का रास्ता निकाल ही लेते थे। वित्त मंत्री बनने के बाद भी उनकी यह आदत बनी हुई है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जब वह बाहर निकले तो तुरंत प्रतीक्षारत मीडिया के पास पहुंचे और कई आर्थिक मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। ऐसा लगा कि बंद कमरे में हो रही बैठक में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और उनके अधिकारियों को जमकर सुनाया होगा, लेकिन भीतर से आए अधिकारियों और दूसरे वित्त मंत्री मीडिया के सामने उनके रुख को देखकर अचंभित थे, क्योंकि उनके मुताबिक बैठक में तो वह बहुत ही शांत बैठे थे। किसी भी मुद्दे पर आक्रामक नहीं थे, लेकिन बाहर आते ही उनके तेवर एकदम बदल गए।

जारी है धींगामुश्ती

कृषि भवन स्थित एक मंत्रालय में अफसरों की धींगामुश्ती के चलते वहां कामकाज प्रभावित होने लगा है। नियम कानून के पचड़े में कामकाज रुक गया है। इसमें बड़े साहब की सुस्ती भी इसे और हवा दे रही है। लिहाजा कई अहम मसलों पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस बाबत चिट्ठियों के आदान-प्रदान के चक्कर में फाइलों का बोझ लगातार भारी होता जा रहा है। एक ही मंत्रालय के दो विभागों के आला अफसरों के बीच ठनी हुई है। दोनों साहब एक दूसरे के कामकाज में टांग अड़ाने से गुरेज नहीं करते। नियमों का हवाला देकर एक साहब ने तो बड़े साहब तक अपनी फरियाद लगा दी है, लेकिन अभी तक वहां भी सुनवाई नहीं हो पाई है। लिहाजा कई बड़े फैसले अटके हुए हैं। मंत्रालय में चौतरफा आवाज उठ रही है कि भला है कोई ऐसा महारथी जो इन अफसरों में संघर्षविराम करा सके।

कुर्सी-कुर्सी का फेर

कुर्सी के मोह से अफसरों के जकड़े होने के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं जब ट्रांसफर आदेश जारी होने की खबर मिलते ही अफसर ने कुर्सी छोड़ दी हो। पिछले दिनों शास्त्री भवन में कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब पढाई-लिखाई से जुड़े मंत्रालय के बड़े साहब ने ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत अपने सहयोगी को बुलाकर चार्ज दे दिया और नई जगह पर आमद दर्ज करा दी। बड़े साहब ने यह सब इतनी जल्दबाजी में तब किया, जब वह लंबे समय से महकमे के सर्वेसर्वा थे। इसके लिए वह और कुछ समय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में आनन-फानन उन्होने जिस तरह से कुर्सी छोड़ी, उसे लेकर शास्त्री भवन के गलियारों में चर्चा शुरू हो जाना स्वाभाविक ही था। बताया तो यह भी जा रहा है कि साहब को जिस ऑफिस में भेजा गया है, वह काफी भाग्यशाली है। उसी ऑफिस में और उसी कुर्सी पर बैठने वाली अफसर को हाल ही में एक राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। तभी से यह सीट खाली थी।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।